(158)

संख्या– 501/XV-2/08(02)/2010(मत्स्य)

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
देहरादून।

पशुपालन अनुभाग– 02 देहरादून, दिनांक 23 मार्च, 2012:

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 मे 75 प्रतिशत केन्द्रपोषित योजना अन्तर्गत एकीकृत मत्स्य पालन (अर्न्तदेशीय जलकृषि एवं मात्स्यिकी का विकास) हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2281/श0म0जी0सह0स0/2012 दिनांक 07–02–2012 के संदर्भ में एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–31013/2/04–Fy(3), दिनांक 31–03–2010 द्वारा स्वीकृत तथा पत्र संख्या–31013/02/04–Fy(3) दिनांक 01–03–2012द्वारा पुर्नवैध करने के फलस्वरूप मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 मे 75 प्रतिशत केन्द्रपोषित योजना अन्तर्गत एकीकृत मत्स्य पालन (अर्न्तदेशीय जलकृषि एवं मात्स्यिकी का विकास) योजनान्तर्गत ताजा जल कृषि का विकास हेतु ₹ 10.00 लाख एवं एकीकृत मत्स्य पालन हेतु ₹ 10.00 लाख अर्थात् कुल धनराशि ₹ 20.00 लाख की धनराशी आपके निर्वतन पर रखते हुये इसे आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– स्वीकृत की जा रही धनराशी का आहरण कर धनराशी शनि देवा मत्स्य जीवी सहकारी समिति लि0, उधमसिहंनगर को उपलब्ध कराई जायेगी ।

2– मत्स्य विभाग द्वारा समिति से भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्राप्त कर उपयोगिता प्रमाणपत्र सहित दिनॉक 31 मार्च, 2012 तक शासन को उपलब्ध कराई जायेगी ।

3– स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्ही मदों पर किया जाय जिसके लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है । यदि इसका उपयोग अन्यत्र किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

4– उक्त केन्द्र पोषित धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिये गये प्राविधानों/दिशा–निर्देशों के तहत ही किया जायेगा।

5– व्यय करते समय बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स वित्तीय नियम संग्रह डी0जी0एस0 एण्ड डी0की दर अथवा टेण्डर/कुटेशन के आधार पर किया जायेगा।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2405–मछली पालन–101–अर्न्तदेशीय मछली पालन –01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाये (75% केन्द्राश) –0101–एकीकृत मत्स्य पालन (अन्तर्देशीय जल कृषि एवं मत्स्यकीय का विकास) –20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–415(P)/वित्त–4/2012, दिनांक 23–03–2012 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति सें जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

/

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 307 /XV-2/08(02)2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
3. कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
5. निजी सचिव–मंत्री, मत्स्य विभाग को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
6. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।